# बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक.

शिव प्रसाद राम, सरकार के अवर सचिव।

सेवा में.

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बुडको)।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण।

पटना, दिनांक- २२/६/17

विषय:--

बाढ़ नियंत्रण आदेश-2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक—1934 दिनांक—11.05.17 द्वारा राज्य में आसन्न बाढ़ की संभावना के आलोक में बाढ़ नियंत्रण आदेश—2017 जारी किया गया है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न बाढ़ नियंत्रण आदेश—2017 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अनु0 — यथोक्त।

विश्वासमाजन

- 744-

# बिहार सरकार

#### जल संसाधन विभाग

प्रेषक:--

श्री अंजनी कुमार सिंह, सरकार के मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में.

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक ।

पटना, दिनांक- 11/5/1<del>)</del>---

1 9 MAY 2017

विषय:-

बाढ़ नियंत्रण आदेश- 2017

महाशय,

बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सभी पदाधिकारियों को बाढ़ अविध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मुकाबला एकजुट होकर करना है। किसी भी स्तर पर लापरवाही होने से उसका भयंकर परिणाम निकल सकता है। अतः हर स्तर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बाढ़ नियंत्रण आदेश में निहित निदेशों का सावधानी एवं जिम्मेवारी से अनुपालन आपके एवं आपके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही अधीनस्थ पदाधिक रियों को यह भी निदेश दिया जाना चाहिए कि वे बाढ़ नियंत्रण कार्यों में आनेवाले व्यवधानों को दूर करने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में तकनीकी पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का हर संभव प्रयास करें। लापरवाह पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए तथा अच्छे पदाधिकारियों का मनोबल उठाये रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

- 2- बाढ़ अविध के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कार्यो यथा बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों के कमजोर स्थलों की मरम्मित, बाढ़ से प्रभावित होनेवाले संभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मित, महामारी की रोकथाम के लिये दवाओं का प्रबंध आदि के लिए बाढ़ के यथेष्ट पहले सभी व्यवस्था पूरा करा देना अत्यंत आवश्यक है।
- 3- अनुरोध है कि संलग्न बाद नियंत्रण आदेश में निहित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये तथा कराया जाय ।

अनु0:-यथोपरोक्त ।

बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की प्रति ।



विश्वासभाजन द्या १११ (अंजनी कुमार सिंह) मुख्य सचिव, बिहार, पटना

DineshiFlood 2011

ज्ञाप सं0-बाढ़(मो0)सिं0-14/92(अंश)- 1935 /पटना, दिनांक:- 11/5/1

प्रतिलिपि- सभी अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं तदनुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जल संसाधन विभाग


ज्ञाप सं0-बाढ़(मो0)सिं0-14/92(अंश)- 1935

/पटना, दिनांक:- 11/5/1<del>7</del>—


प्रतिलिपि- बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की एक प्रति के साथ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार, पटना/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ गृह विशेष विभाग, बिहार पटना/ सचिव, पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग/ अध्यक्ष, कोशी क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा/ सोन क्षेत्र विकास अभिकरण पटना/ गंडक क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/ किउल, बदुआ, चंदन क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/ कमाण्डर, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा, दानापुर कैन्टोमेंट, दानापुर, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, मौर्य लोक, पटना/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीदाण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग,पटना/सहायक पुलिस महानिरीक्षक, संचार, पटना/प्रशासक, पटना नगर निगम, पटना/ संयुक्त सचिव, अभियंत्रण /बजट, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु:- बाढ् नियंत्रण आदेश 2017

प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग



# बाढ़ नियंत्रण आदेश-2017




# बिहार सरकार जल संसाधन विभाग बाढ़ नियंत्रण आदेश-2017

#### 1.00 सामान्य

1.03

- 1.01 जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत, छ: अदद मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित हैं, जो बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के सम्पोषण तथा कार्यान्वयन करने के निमित्त विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे है । जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक निदयों पर बाढ़ सुरक्षात्मक योजनायें बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त बनायी गयी है । संबंधित मुख्य अभियन्ताओं की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंध की सुरक्षा हेतु निरीक्षणोपरान्त कमजोर स्थलों को मजबूत कराने की कार्रवाई 15 जून, 2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से पूरी कर ले तािक बाढ़ के दिनों में आकर्सिमक विफलता की स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके ।
- 1.02 विगत वर्षों की भाँति बाढ़ नियंत्रण कार्यों से संबंधित मुख्य अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिये अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को समय रहते ही गश्ती-नियमावली निर्गत कर दें जिसमें इसका भी समावेश हो कि मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियन्ता स्तर तक के पदाधिकारियों की क्या-क्या जिम्मेवारियों होगी ।यदि किसी मुख्य अभियंता द्वारा तत्संबंधी आदेश तथा निदेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया है तो बिना और विलम्ब किये आवश्यक आदेश तथा निदेश निर्गत कर दें ।
  - बाढ़ गश्ती नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण कार्यों की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था की जाय तथा बाढ़ मौसम में पदाधिकारियों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का भी जिक्र रहे । मुख्य अभियन्ता बाढ़ के दिनों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन सुरक्षात्मक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेंगे, ताकि टूटान, चूहों के द्वारा किये गये छेदों एवं क्षतिग्रस्त भागों को 15 जून 2017 के पूर्व पूरा कर लिया जाय ताकि किसी प्रकार की क्षति तथा बाढ़ विभीविका से बचा जा सके । मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि बाढ़ संघर्षात्मक मशीनरी बिल्कुल ही सुदृढ़ एवं चौकस स्थिति में रहे, ताकि बाढ़ का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके । मुख्य अभियन्ता, कनीय अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारी जो गश्ती कार्य पर तैनात किये गये है, वे बाढ़ की आपात स्थिति में यथोचित कार्रवाई करने हेतु चौकस है तथा अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का समर्पित भाव से निर्वाह कर रहे है । उनके द्वारा बरती गई किसी भी प्रकार की लापरवाही शिरिचलता सरकार द्वारा गंभीरता से ली जाएगी ।



1.04 आपातकाल से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/
अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना को कम से कम समय में भेजने हेतु
मुख्य अभियंता समीपस्थ पुलिस बेतार / विभागीय बेतार/ फैक्स/ विशेष दूत का
उपयोग करेंगें तथा इसके अतिरिक्त फोन/ मोबाइल से भी जानकारी देगें । वे बाढ़
संघर्षात्मक कार्यों के लिये की गयी व्यवस्था का भी प्रतिवेदन ससमय देते रहेगें ।
मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को बाढ़ गश्ती नियमों का गहराई से
अध्ययन तथा समय-रागय पर दिये गये निदेशों को कार्यान्वित करने एवं उनके उपयोग
पर जोर देंगे, ताकि बाढ़ नियंत्रण कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके।

# 2.00 बेन्द्रीय बाह्र नियंत्रण कोषांग तथा क्षेत्रीय बाह्र नियंत्रण कक्ष

2.01 दिनांक 15.6.2017 से सिन्दालय स्तर पर सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कीषांग कार्य करना प्रारंभ करेगा, जो लगातार 24 मों दिनांक 31.10.2017 तक कार्यस्त रहेगा । इस अवधि को किसी आपात स्थिति के अनुसार बहुन्या जा सकेगा। केन्द्रीय बाह नियंत्रण कहा भी इस अवधि ने मुख्य अभियंता के सीथे अधीन, उनके मुख्यालय में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा, जो बाह संबंधी सूचनाओं की जानकारी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को लगातार और ससमय देगा ।

मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना, द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना पर अपना सीधा नियंत्रण रखा जाएगा । केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अचंल, पटना के प्रभार में कार्य करेगा । इन्हे यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी दूसरे मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता से कर्मचारी तथा वाहन की मदद की मांग बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थित में कर सकेंगे ।

- 2.02 बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रभारी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ता, अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी यदि आवश्यक समझते हों तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अपने स्तर पर संबंधित मुख्य अभियंता के परामर्श से संगठित कर सकते है तथा आक्राम्य स्थलों पर भी नियंत्रण कक्षों की स्थापना कर सकते है, ताकि संवादों का प्रवाह राज्य मुख्यालय को तींत्र गति से होता रहे ।
- 2.03 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कथा, पटना के लिये मार्ग विदेश परिशाष्ट-''क'' पर दर्शाया गया है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना में कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी इस निदेश का पालन कड़ाई से करेंगे एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगें। क्षेत्रीय स्तर मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़

नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के सदृश मा निदेश तैयार किये जायेंगे ।

2.04 ऐसा देखा जाता है कि जिला स्तरीय सामान्य प्रशासन के पदाधिकारी एवं विभागी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच बाढ़ के समय समन्वय में कभी-कभी कमी रह जात है, जिसके चलते क्षेत्रीय स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनव संबंध में भी मुख्यालय से निदेश की अपेक्षा की जाती है । सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता प्रत्येक जिला पदाधिकारी के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में एव निर्धारित कार्यावली के तहत अनुभवी कनीय अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति करेंगे जिनव पास सभी विभागीय पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या, बाढ़ सामग्रियों की उपलब्धता के सची इत्यादि उपलब्ध रहेगी ।

#### 3.00 गश्ती

- 3.01 बाढ़ मौसम में तटबंधों की सुरक्षा तथा अक्राम्य स्थलों पर चौकसी रखने के लिए गरतं की सुदृढ़ व्यवस्था बनाये रखना नितान्त आवश्यक है । मुख्य अभियंता द्वारा निर्गत बात गरती नियमावली में परिभाषित पदाधिकारियों के कर्तव्यों तथा दायित्वों के अनुकृत पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में पड़ने वाले तटबंधों की सुरक्षा हेतु गहन निर्दक्षण करेंगे, ताकि तटबंधों में सीपेज, पाईपिंग, कटाव इत्यादि के कारण उत्पन्न स्थितियों क प्रभावकारी ढंग से सामना किया जा सके । किसी भी आपदा को टालने अथवा इसम् वृद्धि को रोकने के ख्याल से एहितयाती कार्रवाई शीघ्र तथा सामयिक किया जाना चाहिए ताकि आक्राम्य स्थलों को सुरक्षित रखा जा सके ।
- 3.02 बाढ़ अवधि 2017 (15 जून से 31 अक्टूबर-2017) में राज्य की विभिन्न निदयों प अवस्थित तटबंधों की कड़ी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गृह रक्षकों की सशस्त्र अथवा लाठी बल के रूप में तैनात करने का कार्यक्रम हैं।

जल संसाधन विभाग के क्षेत्रिय अभियन्ता/कर्मी पूर्व की भाँति तटबंधों, संरचनाओं इत्यादि पर नियमित गश्ती करेंगे एवं सत्त चौकसी बरतेंगे ।

3.03 पूर्व के अनुभवों के आधार पर विभिन्न तटकेंबों के पुराने आक्राम्य स्थलों की पहचान की गयी है। यह आवश्यक है कि बाद प्रकेत के सभी मुख्य अभिवंता द्वारा वैसे आक्राम्य स्थलों की अद्यतन सूची बनाकर संबंधित अनुमेहलाधिकारी तथा जिला पराधिकारी को तुरंत परिचारित कर दिया जाय। यह भी आवश्यक है कि वैसे स्थलों की सुरक्षा हेतु एहितयाती कार्रवाई आगामी बाद आने से पूर्व पूरी कर ली जाय। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि इन आक्राम्य स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि किसी भी स्थिति का दृद्तापूर्वक सामना किया जा नके। आक्राम्य स्थलों की सूची नदियों तथा तटबंधों के

नाम के साथ पाँच प्रतियों में नक्शों में दिखाकर 1 जून, 2017 (01.06.2017) तक मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, सिंचाई भवन, पटना को भेज दिया जाय ।

कंडिका 3.03 में वर्णित सभी आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्पर जो नदी की तीव्र धारा 3.64 का सामना विगत वर्षों में कर चुका हो, जैसे नेपाल में कोशी एफलक्स बांध इत्यादि पर अहर्निश चौकसी आवश्यक है । यह निदेश दिया जाता है कि इन आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्परों पर चतुर्थ श्रेणी के दो दो कर्मचस्थिं को 1 जून, 2017 से 31 अक्ट्रबर, 2017 के बीच स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया जाय । इन कर्मचारियों को एक पंजी भी दी जाए जिसमें नदी की वर्तमान स्थिति एवं सुरक्षा कार्यो पर नदी के प्रभाव की स्पष्ट सूचना अंकित की जायेगी । प्रतिबिन पर्यवेक्षी पदाधकारी का दायित्व होगा कि कर्मचारियों की लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना उच्चतम पदाधिकारियों को देंगे । वे कार्य स्वल की पंजी पर प्रविष्टियों की सत्यता की भी जांचे कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। ग्रामीयो हास वस्त्रको के कार्ट जाते जैसी समस्याओं को प्रधानकारी हंग से कुशलतापूर्वक निपटाना जाना चाहिए, हालाँकि ऐसी घटनार्थ यदा-कवा घटनी है । ऐसी घटनार्थ घटित नहीं हो इसके लिये आवश्यक है कि गहन गश्ती हेतु सशस्त्र पुलिस दलों की प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता जिन-जिन स्थलों पर गश्ती दलों को भेजना उचित समझैंगे, उसके लिये आवश्यक सशस्त्र पुलिस बलों की अधियाचना, संबंधित अनुमंडलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी से समय रहते ही करेंगे, ताकि गश्ती कार्य को यथा समय प्रभावकारी ढंग से सम्पन्न कराया जा सके । जिला पदाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी सशस्त्र दल प्रतिनियुक्त करने में हर संभव सहायता तत्परता से करेंगे । तटबंधों की देखभाल तथा सुरक्षा के समय यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जिला पदाधिकारी अविलम्ब इसके लिए कार्रवाई करेंगे । क्षेत्र में जिला प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारी सतत् सम्पर्क बनाये रखेंगे, ताकि आपात स्थिति का सामना सही ढंग से किया जा सके।

जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन की कील है । अतः बाढ़ के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये उन्हें चौकस रहना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ सशस्त्र बल को आक्राम्य स्थलों पर भेजने के समय इसकी कमी महसूस नही हो । जिला पदाधिकारी को चाहिए कि वे संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थलों पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें । मुख्य अभियन्ता से कार्यपालक अभियन्ता के स्तर के पदाधिकारी द्वारा, यदि सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की मांग जिला पदाधिकारी से की जाये, तो वे प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक को भी विश्वास में रखा जाय, ताकि किसी भी प्रकार की

3.06

विधि व्यवस्था पर काबू पाने तथा गश्ती के लिये आवश्यक सशस्त्र बलों का आकल संयुक्त रूप से किया जा सके।

3.07 जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कही भी तटबंधों और इनकी ढालों प अतिक्रमण न रहे। सभी अतिक्रमण ससमय दूर हो जाय, जिससे अतिक्रमण हटने के बा तटबंधों की ढालों आदि से अत्यावश्यक पुनर्स्थापन का कार्य कार्यपालक अभियन्ता 15 जून 2017 के पूर्व करा सके । इसे प्राथमिकता दो जाय ।

3.08 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से गरती कार्य एवं सुरक्षा व्यवस्था विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो0 सिंचाई-विविध-37/88-2288 दिनांक 2.9.88 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने तटबंध तथा उनके आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा एवं गरती निमित्त सरास्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति कं व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक जिला में एक समिति गडित करने का निदेश दिया गया था यह आदेश बाढ़ 1988 में प्रत्येक जिला मदाधिकारी/मुस्सि अवीधक को संसूचित किया गय था । इस वर्ष के आदेश प्रति परिशिष्ट 'ख'-पर संलग्न है । उक्त समिति प्रतिवध कार्यरत रहेगी, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है:-

1. जिला पदाधिकारी

अध्यक्ष

2. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

सदस्य

कार्यपालक अभियन्ता
 (बाढ़ नियंत्रण कार्यो से संबंधित)

सदस्य

4. आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित जिला स्तर के एक पदाधिकारी सदस्य सिमिति के कार्य का उल्लेख मुख्य सिचव के उपरोक्त पत्र में वर्णित है। सिमिति तदनुसार प्रतिवर्ष कार्य करेगी, ताकि तटबंधों पर किया गया अतिक्रमण तुरंत हट सके एवं तटबंध के आक्राम्य विन्दुओं की सुरक्षा की कार्रवाई में विलम्ब न हो।

# 4.00 बनवा का सहयोग

4.01 इन सन् तथ्यों के बावजूद केविय पदाधिकातीयन जो बाद सुरक्षात्मक कार्यों तथा विधि व्यवस्था के प्रभारी है, वे तटकींगे की सुरक्षा गस्ती तथा जन सहयोग प्राप्त करने में स्थासंभव अपनी अहम भूषिका अदा कर सकते हैं। जैसे ग्राम-पंचाकों जो तटकंध के असपास अवस्थित है, तटकंधों पर गस्ती कार्य तथा संभावित दूखन इत्यादि से संबंधित सूच्यावे देने में बहुत हर तक अलक्षक सिद्ध हो उकती है। जिला पदाधिकारियों को सिक्स के किस किस के किस के किस के दिनों में संभावित जन-सहयोग का आकलन किया जा सके। गांव के स्वयं-सेवकों तथा चौकीदारों की सेवाओं की भी अधियाचना अवस्थ ही की जाय, जिससे तटबंधों पर गस्ती की आवश्यकता तथा मूचनाओं को एकत्र करने में मदद मिल सके।

4.02 सैन्य सहायता

अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर की हो जाय तभी सैन्य सहायता की अधियाचना की जाय । ऐसी सहायता की मांग स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा राज्य के गृह विभाग से परामर्श पर ही लिया जाय ।

5.00 सुचनाओं का सम्प्रेषण

5.01 दूरभाष तथा बेतार यंत्र, बाढ़ सूचनाओं के दुत संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.1988 की एक बैठक हुई थी, जिसमें
निम्नलिश्वित मिणैय लिये गये, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए।

5.01.1 बाह प्वनिमान

- (क) वर्ष तथा बाढ़ की अग्रिम सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था नेपाल तथा बिहार के बाढ़ क्षेत्रों से समय पर जिला पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए ।
- (ख) तटबंधों के संवैदनशील स्थलों पर वायरलैस सेंट रहेना चाहिए, ताकि सूचना प्राप्त होने के बाद आम जनता को वस्तु स्थिति से आगाह किया जा सके।
- 5.01.2 बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए ।
- 5.01.3 बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय ताकि एक सेट खराब होने पर अतिरिक्त सेट काम में लाया जाय । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) क्रमांक-5.01.1 (ख), 5.01.2 तथा 5.01.3 पर कार्रवाई दिनांक 15.06.2017 तक सुनिश्चित कर लेंगे ।
- 5.01.4 दूरभाष के संबंध में मुख्य अभियन्ता, बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे तािक आक्राम्य स्थलों पर 15.06.2017 तक दूरभाष की स्थापना सुनिश्चित हो सके । दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को देंगे । वैसे पदाधिकारीगण जो बाढ़ संघर्षत्मक कार्यों में संलग्न है, वे आवश्यकता पड़ने पर निकटवर्ती थाना का दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को देंगे अथवा निकटवर्ती थाना के बेतार तथा रेलवें के टेलीग्राफ प्रणाली का भी उपयोग कर सकेंगे ।
- 5.01.5 कम्युनिकेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंकार्थ मुख्य सचिव के गैर सरकारी प्रेषण संख्या 5362 दिनांक 22.12.1997 द्वारा गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक को भेजी गयी है । उसमें उल्लेख है कि बाद प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे वायरलेस सेट काम करता रहे ताकि सूचनार्थे केन्द्रीय बाद नियंत्रण कक्ष, पटना को निरंतर प्राप्त होती रहे । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) क्रमांक 5.01.5 के प्रति

कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । केन्द्रीय बाढ़ पुर्वानुमान संगठन, पटना 5.01.1(क) पर कार्रवाः सुनिश्चित करेंगे ।

- 5.02 बाढ़ की अवधि में संभव है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी निरीक्षण तथा अन्य आवश्यक कार्यो स् मुख्यालय से बाहर जाने वाले हो, तो वैसी स्थिति में वे 24 घंटे के लिए क्रमिक कर्तव्य की व्यवस्था कर लेंगे, जिसमें यात्रा के दौरान वे अपने ठिकाने इत्यादि का उल्लेख के ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आवश्यक सूचना दौ जा सके।
- 5.03 जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ सूकनाओं के संधारण के सिये बेतार संयंत्र लग जाने वं वावजूद भी सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) पुलिस बेतार संयंत्र में संलग्न कर्मचारियों को निरंश देंगे कि पुलिस बेतार संयंत्र का उपयोग वे जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को करने दें, लिससे बाढ़ संबंधी सूचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर सम्प्रेषित करेंगे । राज्य वं सभी पुलिस बेतार संयंत्र बाढ़ संबंधी सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर संप्रेषित करेंगे । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) जल संसाधन विभाग द्वारा अधिकारित बेतार संयंत्र लगाने तथा संचालन हेतु आवश्यक चालकों (ऑक्सेटरों) को आवश्यक सामानों के साथ निर्दिष्ट स्थलों पर भेजने पर विशेष ध्यान देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बैसे सभी बेतार संयंत्र 15 जून 2017 से कार्य करना प्रारंभ कर दें । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) जल संसाधन विभाग के लिए इस बात का ख्याल रखेंगे कि विभागीय बेतार संयंत्र भी बिना किसी गड़बड़ी के कार्य करे । इन संयंत्रों में आवश्यक मरम्मित कार्य 15 जून, 2017 तक पूरा कर लिया जाय । जल संसाधन विभाग के अधीन वितन्तु यंत्र जो बाढ़ अविध में खराब होंगे उसे पुलिस वितन्तु कर्मशाला में मरम्मित करा लिया जाए जिससे कार्य बाधित न हो ।

# 6.00 बाद संघर्षात्मक सामग्रियाँ:-

6.01 संबंधित मुख्य अभियंता बाढ़ संधर्षात्मक सामग्रियों की उपर्युक्त स्थलों पर इकट्ठा कराने हेतु आवश्यक कदम उठावेंगे । वे बाढ़ संधर्ष सामग्रियों की कास्त्रविक आवश्यकता, इकट्ठा किये गये सामग्रियों का परिशाण तथा शेष सामग्रियों की काबस्था की स्थित की सूचना केन्द्रीय बाढ़ निर्वत्रण कोषांग, पटना को देंगे। वे बाढ़ संधर्ष सामग्रियों के भण्डार स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक शामग्रियों की प्राप्त, निर्मंत तथा शेष सामग्रियों का सही लेखा-जोखा रखे जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जाँच पदाधिकारीगण सामग्रियों की पर्याप्तता तथा संसाधनों से अपने को संतुष्ट कर सके। जिला पदाधिकारी आपत स्थितियों में मजदूरों तथा सामग्रियों को आपत बिन्दुओं पर पहुँचाने में त्वरित कार्रवाई कर ट्रक-ट्रैक्टर इत्यदि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभिवंदाओं को उपलब्ध करायों । जिला पदाधिकारी यह भी ध्यान रखेंग कि बाढ़ निरोधक कार्यों से संबंधित पदाधिकारियों के निरीधक बाहन विधि व्यवस्था कार्य हेत् अधिगृहित न किए जायें।

- 7.00 साप्ताहिक प्रतिवेदन:-
- 7.01 मुख्य अभियंतागण अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अधीक्षण अभियंताओं/कार्यपालक अभियंताओं से बाढ़ स्थिति पर साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक शनिवार को प्राप्त कर लेंगे । मुख्य अभियंता प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर समेकित प्रतिवेदन तीन प्रतियों में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को भेजेंगे ।
- 7.02 साप्ताहिक प्रतिवेदन में इन विन्दुओं पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए कि नदी किस ओर उन्मुख है, क्षेत्र में वर्षामत् कितना हुआ, विभिन्न स्थलों पर गेज पठन, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अभियंत्रण कार्यों तथा उच्च पथों, रेलवे, दूरभाष तारों की क्षति का मूल्यांकण सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति तथा खड़ी फसलों एवं जन-जीवन की क्षति का ब्यौरा जिला प्रशासन से प्राप्त कर इसका भी समावेश साप्ताहिक प्रतिवेदनों में करेंगे।
- 7.03 जब किसी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हो तो बाढ़ से प्रभावित पूरे क्षेत्र को दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार कराया जाय, जिसमें यह दर्शाया जाय कि बाढ़ के पानी की गहराई उस बाढ़ की अविधि में कितनी रही। इस उद्देश्य से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को चार श्रेणियों में बाँटा जाय, यथा 30 से.मी., 60 से.मी., 90 से.मी., 120 से.मी. से अधिक बाढ़ के पानी की गहराई कहाँ-कहाँ रही। इसमें विशेष सावधानी बरती जाय। नक्शों में उन तटबंधों तथा आक्राम्य स्थलों को भी दर्शाया जाय जहाँ पर सशस्त्र बल तैनात किये गये हों।
- 7.04 मुख्य अभियंता, उपरोक्त साप्ताहिक प्रतिवेदनों तथा बाढ़ नक्शों को अतितत्परता के साथ केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना को भेज देंगे तथा विवेचनात्मक प्रतिवेदन बेतार द्वारा सम्प्रेषित करेंगे। इन प्रतिवेदनों की डाक प्रतियाँ तथा बाढ़ नक्शों की प्रतियाँ विशेष दूत द्वारा भेजेंगे।
- 7.05 अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंतागण बाढ़ संवादों को पुलिस बेतार संयंत्र/ विभागीय बेतार संयंत्र/ विशेष दूत द्वारा बिना समय नष्ट किये सम्प्रेषित करेंगे।
- 7.06 सभी बेतार संवाद निम्नांकित रूप में शुरू किया जाना चाहिए।

# 8.00 सहाम्य एवं सहिता स्थान पर पहुँसामा पाना

DineshiFloral 201

8.01 यह पाया गया है कि क्षेत्रीय अभियंताओं की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में यदा-कदा असमाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, जिससे कार्य की प्रगति बाधित होती है। संबंधित जिला पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय

तकनीकी पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कार्य की प्रगति बनायो रखी ज सके। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जाँच कर रहे विशेष दलों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

8.02 जब किसी तटबंध की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो जाय, तो मुख्य अभियंता तथा उनव अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी स्थिति की सूचना तुरंत संबंधिर जिला पदाधिकारी को देंगे तथा इस स्थिति से केन्द्रीय बाद नियंत्रण कोषांग, पटना को भं अवगत करायेंगे, जिसमें इस आशय का भी जिक्क होगा कि संभावित दूदान से कितने गाँर प्रभावित होंगे।

तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वैसे क्षेत्र में वे तुरंर बाढ़ चेतावनी निर्गत कर दें तथा संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वालों के लिये सहाय्य कं व्यवस्था एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था हेतु वे आवश्यक कार्रवाई करें।

8:03 तत्पश्चात् सहाय्य एवं सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का संचालन आवश्यकतानुसार प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग करेंगे ।

\*\*\*\*\*

# केन्द्रीय बाढ नियंत्रण कोषांग, पटना के लिये मार्ग निदेश

#### 1. सामान्य:

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना बाढ़ संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने का प्रभारी होगा तथा अभियंता प्रमुख द्वारा दिये गये सभी आवश्यक निदेशों को जल संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को सम्प्रेषित करेगा । यह कोषांग 15.06.2017 से 31.10.2017 तक कार्यरत रहेगा । बाढ़ आपात के अनुरूप इस अविध को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है

#### 2. केन्द्रीय बाढ नियंत्रण कोशांग, पटना का स्थान:

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, सिंचाई भवन, पटना में अवस्थित रहेगा । इसके दूरभाष सं0-0612-2215850, 2217782, 2206669, 2217146 एवं 2217309 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। दूरभाष सं0- 0612-2215850 पर फैक्स संयंत्र भी कार्यरत रहेगा ।

## 3. केन्द्रीय बाद्ध नियंत्रण कोषांग, पटना का कार्य:

- (क) क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा बाढ़ पूर्वानुमान प्रमंडल, भारत सरकार, पटना से प्राप्त निदयों के जलस्तर के पठन, वर्षांपात ऑकडे तथा जल वैज्ञानिक ऑकडों का अभिलेख रखना ।
- (ख) विभिन्न श्रोतों से प्राप्त बाढ़ आँकड़ों तथा जल स्थिति गंभीर हो जाय तो चेतावनी संवाद तथा बाढ़ आपदाओं जो दूर करने के लिये उचित कदम उठाने हेतु निदेश सम्प्रेषित करना
- (ग) जब नदी का पठन खतरे के निशान से एक मीटर उपर हो तो वैसी स्थिति में संबंधित अभियंत्रण पदाधिकारियों तथा असैनिक पदाधिकारियों को बाढ़ चेतावनी निर्गत करना ।
- (घ) विभिन्न श्रोतों से प्राप्त बाढ़ आँकड़े को समेकित करना ।
- (ड्) सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों से बाढ़ समस्याओं के संबंध में सम्पर्क बनाये रखना ।
- (च) समय-समय पर आवश्यकतानुसार आकाशवाणी तथा जन-सम्पर्क विभाग, बिहार को बाढ़ समाचार उपलब्ध कराना ।
- (छ) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को बाढ़ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ।

## 4. प्रबंधन का संचालन:

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का प्रबंधन तथा संचालन जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा । अधीक्षण अधियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना कोषांग के प्रबंधन तथा कार्यकलाप के लिये उत्तरदायी होंगे । यह कोषांग मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के सीधे नियंत्रण में रहेगा । अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कोषांग के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण समय-समय पर करेंगे तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यों के सुवाहर रूप से सम्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

केन्द्रीय बाद नियंत्रण कोषांग, बाद अविध में अनवरत पालियों में कार्य करेगा तथा पालियाँ 6.00 बजे पूवाहन से 2.00 बजे अपराहन तक, 2.00 बजे अपराहन से 10.00 बजे रात्रि तक एवं 10.00 बजे रात्रि से 6.00 बजे पूर्वाहन तक चला करेगी ।

मुख्य अभियंताओं के अधीनस्थ मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय एवं बाढ़ नियंत्र से संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के अधीन एक-एक कोषांग पालियों में कार्यरत रहेगा । उ कोषांग के पालियों में निम्नलिखित पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत रहेंगे ।

- 1. सहायक अभियंता -
- 2. कनीय अभियंता/कर्मचारी 1
- 3. अनुसेवक 1

इन पालियों के अविस्कित एक सामान्य पाली भी होगी, जिसका कार्यकाल 9.30 बर पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन तक रहेगा, जो शांक्तार एवं स्विकार को छोड़कर अन्य सभी दिन में कार्यदा रहेगा । बाद क्विंग्रण स्वेन्टिरिंग अंचल के अधीनस्त्र पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवश्यकता पड़ने पर शनिवार एवं स्विवार को भी बुलाया जा सकता है । अन्य पाली बिन किसी रोक दोक के कार्यहत रहेगा, चाहे वह शनिवार/सनिवार हो या खुट्टी का दिन । केन्द्रीर बाद निवंत्रण कोषांग के कार्य में संलग्न किसी भी कर्मवारी को सामान्य स्थित में लीभ रीजर्व के भी व्यवस्था रहेगी ।

सुबह, अपराहन एवं रात्रि में सुरक्षित पालियों में निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी होंगे:कार्यपालक अभियंता - 1 (पाली प्रभारी होंगे)
सहायक अभियंता - 2
कार्यालय चपरासी-सह डाक बाहक - 2

- टिप्पणी:-(1) पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का समायोजन उसकी उपलब्धता तथा आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कीषांग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा ।
  - (2) बाढ़ नियंत्रण कोषांग के अन्तर्गत एक बेतार कोषांग भी आवश्यकतानुसार तीन पालियों रं एवं सुरक्षित पाली में कार्य करेगा, जिसका निर्धारण कोषांग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल करेंगे ।

#### 5. सज्जाः

- (क) कोषांग तीन अदद दूरभाष से सञ्जित रहेगा ।
- (ख) कोषांग में समुचित बेबार संयंत्रों का प्रावधान रहेगा ।
- (ग) कोषांग में पर्याप्त संख्या में जीप तथा जीप चालक रहेगा।
- (घ) आवश्यकतानुसार छ: अदद साईकिल का भी प्राविधान रहेगा ।
- (ड़) कोषांग को आपनेकाशीन रोशनी के लिये जैनरेटर, पेट्रोनैक्स, टार्च, मोमबत्ती, दियास छाता, बरसाती कोट इत्यादि से सज्जित रखा जायेगा ।
- (च) कोषांग की दक्षता बदाने हेतु अन्य साज-सञ्जा एवं यंत्र की आवश्यकता होने पर कोषांग को उससे भी सञ्जित कर दिया जोयेगा ।

- अभिलेखों का रख-रखाव:
   केन्द्रीय बाढ़ कोषांग में निम्नांकित पंजियों का संधारण किया जायेगा ।
- (क) कर्तव्य पंजी-इस पंजी में नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति अंकित की जायेगी ।

## कर्तव्य पंजी

क्रमांक	तिथि	पाली संख्या	1	कर्तव्य पर उपस्थित कर्मचारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

(ख) कर्मपुस्तिका :- कर्म पुस्तिका संघारण निम्नांकित प्रषत्र में किया जायेगा । इस पंजी में संबंधित व्यक्तियों को सम्प्रेषित सभी समाचारों को दर्ज किया जायेगा ।

#### कर्म-पुस्तिका

	क्रमांक	तिथि	समय	प्राप्त संवाद	श्रोत	सम्प्रेषित	संवाद किसे	सम्ब्रेषण	अभ्युक्तित
	e Man	4				een e	दिया गया	का समय	
İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ग) गेज पंजी:- इस पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में नदीवार, नदी के गेज प्रतिवेदन की प्रविष्टि प्रतिदिन की जायेगी ।

# गेज पंजी

क्रमांक	तिथि	स्थल	का	नाम	खतरे का निशान	गेज पठन	सूचना का श्रोत	अभ्युक्ति
1	2		3		4	5	6	7

(घ) वर्षापात् पंजी:- इस पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में विभिन्न वर्षा-मापक स्थलों पर अविलम्ब प्रतिदिन का वर्षापात् अंकित किया जायेगा ।

# <u>वर्भाषात</u>

तिथि	वर्षापात	स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			. *
1 .			

(घ) बाढ़ क्षति पंजी:- इस पंजी में बाढ़ से हुई विभिन्न प्रकार की क्षति, स्थानों पर जल-जमाव का संधारण प्रपत्र में किया जायेगा । बाढ़ से हुई क्षति की सूचनार्ये विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना को भेजी जायेगी ।

#### बाढ क्षति पंजी

तिथि	जिला	गाँव	प्रभावित	प्रभावित	फसल	क्षतिग्रस्त	क्षतिग्रस्त	जानमाल	पशुधन	सार्वजनिव
		का	क्षेत्र	फसल का	की हुई	घरों की	घरों की	की	की	उपयोग
		नाम		क्षेत्रफल	क्षति का	संख्या	कीमत	क्षति	ধ্বন্ধি	के
				(एकड़ में)	मूल्य					वस्तुओं
		÷								की क्षति
1	2	3	4	5	6	7	8	, 9	10	11

(च) निदेश पंजी:- इन पंजी में वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिया गया आदेश एवं किसी पाली प्रभारी द्वार अगले पाली प्रभारी को दिया गया अबुदेश ॲकित किया जायेगा ।

রিখি	निदेश	किनके द्वारा दिया गया	अनुपालन की प्रवृति	अभ्युक्तित
1	2	3,	4	5

(छ) समाचार पत्र कतरन पंजी:- इस पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जावेगा । इस पंजी में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित राज्य तथा समीपवर्ती राज्यों में बाढ़ स्थिति से संबंधित सूचनाओं का कतर एकत्र कर चिपकाया जायेगा । कोषांग स्थानीय मुख्य समाचार पत्रों को मंगवायेगी।

#### समाचार पत्र कतरन पंजी

तिथि	समाचार पत्र का नाम	कटिंग
1	2	3

(ज) तटबंध एवं नहरों के टूटने एवं उन्हें काटे जाने संबंधी विवरणी की प्रविष्टि पंजी में निम्नांकित प्रपत्र र किया जायेगा ।

# तटबंध/ नहर में दरार, कटाव की पंजी

350	जिला	नहर⁄	स्थान	दसर	प्रभावित	जलश्राव	दूवन/	प्रभावित	कयव/	मरम्मति	रूट	अभ्य
	का	तटबंध	जहाँ	पड़ने⁄	जलश्राव	की	कटाव	क्षेत्र	दूयन	पर कुल	गवा	
	नाम	का	इसे	कटने	,	तिथि	बंद		से	व्यय	अथवा	
		नाम	काटा	की		·	करने		क्षति		काटा	
,			या	तिथि			की		1		गया	
		·	तोड़ा				विधि					
			गया									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1

(झ) डाक पंजी :- निम्नांकित प्रपत्र में डाक पंजी का संधारण कोषांग में किया जायेगा ।

#### डाक पंजी

		and the second second	-			
<b>寿</b> 0	तिथि	किसे भेजा गया	पत्र का आदेश	संदेशकाहक	हस्ताक्षर एवं प्राप्त करने	अभ्युक्ति
				का नाम	की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7

(ट) दूरभाष पंजी :- नियंत्रण कक्ष में दूरभाष पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायेगा ।

#### दुरभाष पंजी

<b>न्नर</b> 0	तिथि	किसके द्वारा	कहाँ बुलावा	बुलावा	बुलावा	बुलावा दर्ज	अभ्युक्तित
		दूरभाष पर	दर्ज किया	समय	कार्यान्वित	करने वाले	
	<u> </u>	बातें किया	गया		हुआ अथवा	पदाधिकारी	
		गया			नहीं	का हस्ताक्षर	:
1	2	3	4	5	6	7	8

7. सूचनाओं को प्राप्त होने पर उसे विभिन्न पंजियों में दर्ज कर दिया जायेगा तथा वैसी सूचनाओं का समावेश बाढ़ संबंधी संक्षिप्त समाचार में कर दिया जायेगा । आपात स्थिति में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा संक्षिप्त बाढ़ समाचार प्रतिदिन निर्गत किया जायेगा । कोषांग वैसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा, जिनको यह बाढ़ संबंधी संक्षिप्त समाचार भेजा जाना है ।

#### नक्शे तथा तालिकायें:

पूर्व में बाद से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तथा तालिकायें भी कोषांग में रखे जायेगें । नक्शों तथा तालिकाओं को अद्यतन कर लिया जायेगा तथा निदयों का अद्यतन स्थिति दर्शाकर उसे केन्द्रीय बाद नियंत्रण कोषांग में प्रदर्शित किया जायेगा । वर्षापात तालिकाओं का भी संधारण किया जायेगा तथा जाँच हेतु उसे कोषांग में लटका दिया जायेगा । तटबंधों तथा उनमें यदि कोई दरार पड़ा हो तो बाद से प्रभावित क्षेत्र का नक्शा तैयार कर कोषांग में रखा जायेगा ।

## 9. बाढ संयंत्र व्यवस्थायें:

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग बाढ़ संघर्ष कार्यों के लिये किये गये व्यवस्थाओं की पूर्ण सूचनाओं का संघारण करेगा । उन सूचनाओं से तटबंधवार आक्राम्य विन्दुओं की सूचना, उपर्युक्त स्थानों पर भंडारित सामग्रियों की विवरणी तथा क्षेत्र में संधारित दूरभाष/ बेतार संयंत्रों की विवरणी का भी समावेश रहेगा ।

#### 10. बाढ प्रतिवेदन:

बाढ़ प्रतिवेदन में निम्नांकित परिच्छेद होगें :-

- (i) वर्षापात् ।
- (ii) निदयों के विभिन्न स्थलों पर का गेज !
- (iii) नदियों की प्रवृति ।
- (iv) दरारं- दरार पड़े हुए स्थलों के नाम, दरार पड़ने के कारण, बाढ़ के पानी को रोकने एवं दरारों को पाटने हेतु उठाये गये कदम ।
- (v) क्षतियाँ ।
- (vi) तत्संबंधी अन्य बातें ।

